भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 774
26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नवजात शिशु गहन परिचर्या एकक

774. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नवजात शिशुओं की जान बचाने वाली विशेष नवजात शिशु परिचर्या एकक, बेहतर प्रसव कक्ष और कुशल प्रसव सुविधाएं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों की पहुंच से बाहर हैं;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;
(ग) यह देखते हुए कि मौके पर नवजात शिशु परिचर्या अथवा नवजात शिशु गहन परिचर्या इकाई (एनआईसीयू) नवजात शिशुओं के लिए चिकित्सा परिणामों में सुधार करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, प्रसव सुविधा युक्त विभिन्न अस्पतालों में इनको शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं; और
(घ) सरकार द्वारा एनआईसीयू उपचार के तौर-तरीकों में शुरू की गई किसी भी कौशल उन्नयन अथवा प्रशिक्षण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) के आधार पर प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच + एन) कार्यनीति के कार्यान्वयन में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों का सहयोग करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बीमार और छोटे नवजात शिशुओं को परिचर्या प्रदान करने हेतु मेडिकल कॉलेज/जिला और उप-जिला अस्पतालों में 1054 नवजात गहन परिचर्या एकक (एनआईसीयू)/विशेष

नवजात परिचर्या एकक (एसएनसीयू) और प्रथम रेफरल एककों (एफआरयू)/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में 2774 नवजात स्थिरीकरण एकक (एनबीएसयू) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अनिवार्य नवजात परिचर्या प्रदान करने के लिए पूरे देश में प्रसव स्थलों पर 22,147 नवजात परिचर्या कॉर्नर (एनबीसीसी) स्थापित किए गए हैं।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष तक की आयु के सभी बीमार शिशु नि:शुल्क औषधि और उपभोज्यों, नि:शुल्क निदान, जहां आवश्यक हो नि:शुल्क रक्त और नि:शुल्क परिवहन के पात्र हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'लक्ष्य' पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य देश भर में नामित प्रथम रेफरल इकाइयों और उच्च रोग भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रसूति कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में प्रसवासमय और तत्काल प्रसवोत्तर अवधि के दौरान गुणवत्तायुक्त परिचर्या को बढ़ाना है। 'लक्ष्य पहल' स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार श्रम प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार, जटिलताओं के दौरान स्थिरीकरण, समय पर रेफरल और बच्चे के जन्म के दौरान गुणवत्तापूर्ण परिचर्या प्रदान करने के लिए मर्यादित प्रसूति देख-रेख (आरएमसी) के प्रावधान को प्राथमिकता देता है।

गुणवत्तापूर्ण नवजात और मातृ देख-रेख प्रथाओं को सुदृढ़ करने के लिए सुविधाकेंद्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एफबीएनसी), नवजात स्थिरीकरण इकाई (एनबीएसयू) परिचर्या, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसके), नवजात और शिशु की बीमारियों के लिए सुविधाकेंद्र आधारित एकीकृत प्रबंधन (एफ-आईएमएनसीआई) और नवजात और शिशु की बीमारियों का एकीकृत प्रबंधन (आईएमएनसीआई), कुशल जन्म परिचर (एसबीए), दक्ष, दक्षता, बुनियादी आपातकालीन प्रसूति और नवजात देख-रेख (बीईएमओएनसी) जैसे कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रसव और नवजात शिशुओं के प्रभावी प्रबंधन के उद्देश्य से सेवा प्रदाताओं के कौशल को बढ़ाने के लिए व्यापक आपातकालीन प्रसूति एवं नवजात परिचर्या (सीईएमओएनसी) और जीवन रक्षक संवेदनाहरण कौशल (एलएसएएस) कार्यान्वित की गई हैं।

*****